

प्रेषक,

ओम प्रकार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-1

देहरादून दिनांक 29 जनवरी 2019

विषय-दिनांक 31.01.2019 को कार्मिकों के सामूहिक अवकाश पर जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्मिक विभाग के पत्र संख्या-41/XXX(2)/2018/4/काज-2/13, दिनांक 28.01.2019 के द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि जनहित याचिका संख्या-115/2018 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2018 के द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये हैं-

In the matter of Prevention of Recurrent Strikes Organized by various Government Non Government Unions/Organizations.

उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्मिकों के कार्य बहिष्कार/हड़ताल को निषेध किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में निम्न निर्णय एतद्वारा पारित किये जाते हैं-

- (1) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि अपरिहार्य परिस्थिति में किसी कार्मिक द्वारा अवकाश लिया जाता है, तो उस पर निर्णय प्रमुख अभियन्ता/सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा गुणा व गुण के आधार पर लिया जायेगा।
- (2) लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्मिकों की उपस्थिति पत्रिका तैयार करते हुये उसमें सभी कार्मिकों की उपस्थिति/अनुपस्थिति दर्ज करायी जायेगी तथा अपराह्न एवं मध्याह्न प्रमुख अभियन्ता एवं कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उपस्थिति पत्रिका के अनुसार सत्यापन किया जायेगा।
- (3) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालयों का विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रातः 10.00 बजे से 11.00 बजे के मध्य एवं सांय 3.00 बजे से 4.00 बजे के मध्य तथा अन्य किसी भी समय कार्यालय का निरीक्षण किया जायेगा तथा अनुपस्थित कर्मचारियों के विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जायेगी।

अतः इस सम्बन्ध में गुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

भवदीय,
Anil Kumar
(ओम प्रकार)
अपर मुख्य सचिव

1-T
Up road no.
216
30.01.19

(देवेन्द्र शाह)
व्यक्तिगत अभियन्ता



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431 Web- <http://pwd.uk.gov.in> E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक-१३०/०१व्यक-सा०/१८

दिनांक:-३०/०१/२०१९

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय/रा०मा०/ए०डी०बी०/विश्व बैंक/पी०एम०जी०एस०वाई०, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा/पिथौरागढ़/हल्द्वानी/पौड़ी/टिहरी/देहरादून को अधीनस्थ कार्यालय को भी अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित।
3. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर- I/II/अधिष्ठान, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
5. अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
7. अधिशासी अभियन्ता, आई०टी०, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
8. गार्ड पत्रावली हेतु।

(आर०सी० पुरोहित)
प्रमुख अभियन्ता
३०/०१/१९